न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018-00224 RAAJodhpur2018-76RTA223 Raychandram Vs Aidanram etc

रायचंदराम पुत्र श्री लुम्बाराम जाति विश्नोई, निवासी- ग्राम सिरमण्डी, तहसील औसियां जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

न

म

1. आईदानराम पुत्र श्री भागचंद
2. जोराराम पुत्र श्री भागचंद
3. केवलराम पुत्र श्री भागचंद
4. भरमलराम पुत्र श्री भागचंद
5. बीरबलराम पुत्र श्री भागचंद
6. श्रीमती मीरा पत्नी श्री भागचंद
7. बबुराम पुत्र श्री जगमालराम
8. मांगीलाल पुत्र श्री जगमालराम
9. श्रीमती लाली पत्नी श्री जगमालराम
10. शिवलाल पुत्र श्री हीराराम सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम सिरमण्डी, तहसील औसियां जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर औसियां निर्णय दिनांक 12 मार्च 2018 राजस्व वाद संख्या 161/2013 रायचंदराम बनाम आईदानराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1,3,5,6,10

नि र्ण य

दिनांक : 11 अक्टूबर, 2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी औसियां निर्णय दिनांक 12 मार्च 2018 राजस्व वाद संख्या 161/2013 अनवान रायचंदराम बनाम आईदानराम इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 24 मई 2018 को पेश की गयी है।

अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम अपील प्रस्तुति में हुई देरी का माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते डिक्री पर्चा को डिस्पेस विथ करने हेतु प्रस्तुत कर डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि डिस्पेश विथ किये जाने का निवेदन किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय में वाद बाबत् कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट/वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा सिरमण्डी के खसरा संख्या 2407 रकबा 04 बिस्वा एवं खसरा नं. 2408 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा आई हुई है। वादी की खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि के पड़ोस में प्रत्यर्थीगण के स्वामित्व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 2452 रकबा 38.12 बीघा आई हुई है। खसरा संख्या 2408 एवं 2452 के मध्य माठ बनी हुई है। अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के बीच स्थित रेतीली माठ होने का फायदा उठाकर प्रत्यर्थीगण ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद पत्र के साथ सलंग्न नक्शे के ए से बी भाग पर वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर नई माठ बनाकर कब्जा कर दिया। अपीलांट ने नई माठ का एतराज किया तो प्रत्यर्थीगण ने नई माठ को अपने खर्चे पर हटाने का आश्वासन दिया। प्रत्यर्थीगण ने अपीलांट को बार-बार नई माठ हटाने का आश्वासन देता रहा कि प्रत्यर्थीगण ने मौके का फायदा उठाकर निर्माण कार्य करवा दिया। वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमण, नया निर्माण कार्य को हटवाने के लिए वादी ने गांव के मौजिज व्यक्तियों को एकत्रित किया तो प्रत्यर्थीगण ने अपीलांट को आश्वासन दिया कि दोनों खेतों को नाप चौक करवा दे तथा जितनी-जितनी कृषि भूमि प्रत्यर्थीगण के कब्जे से निकलेगी वादी को सुपुर्द कर दी जावेगी। वादी ने प्रत्यर्थीगण के आश्वासन पर वादी ने दोनो खेतो का नाप चौक गांव के मौजिज व्यक्तियों के सामने करवा दिया। मौका फर्द सीमांकन की रिपोर्ट वाद पत्र के साथ संलग्न की गई। वादी की कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि पर वाद पत्र के साथ सलंग्न नक्शे के ए से बी भाग पर किये गये अतिक्रमण को प्रत्यर्थीगण ने बार-बार हटाने का आश्वासन दिया, लेकिन आखिरकार दिनांक 26.03.2013 को हटाने से स्पष्ट मना कर दिया, जिस कारण वादी ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थीगण की समुचित तामील होने के बावजूद प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 16.08.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षीय कार्यवाही होने के कारण जवाब दावा प्रस्तुत नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम नहीं की गई। अपीलांट की ओर से मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू-1 रायचंद का शपथ-पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श-1 व 2 एवं सीमांकन रिपोर्ट प्रदर्श-3, प्रदर्शित करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बहस सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनाक 12 मार्च 2018 को पारित कर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया के अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में विधिक, कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रत्यर्थीगण के सम्मन समुचित तामील होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण उपस्थित नहीं हुए और न ही किसी प्रकार का जवाब दावा या उज्र एतराज पेश किया और अपीलांट का वाद अखण्डित रहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपीलांट का वाद साबित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-3 पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिले खारिज है। सीमांकन रिपोर्ट प्रदर्श-3, गांव के मौजिज व्यक्तियों के रुबरु बनाई, इसलिए सीमांकन रिपोर्ट प्रदर्श-3 का अवलोकन करने पर रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया है कि प्रत्यर्थीगण ने प्रदर्श-3 में ए से बी भाग पर अतिक्रमण कर रखा है। इससे स्पष्ट है कि वादी ने अपना वाद साबित किया है। प्रत्यर्थीगण की ओर से अपीलांट का वाद खण्डित करने हेतु किसी प्रकार का जवाब दावा, साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये है। इस कारण वादी का वाद अखण्डित रहा। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री स्पिकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय की परिभाषा में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में विवाधक बिंदु को तय नहीं किया गया है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते डिक्री पर्चा को डिस्पेश विथ करने पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पर्चा जारी करने का आदेश पारित नहीं किया तथा डिक्री पर्चा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार ही नहीं करवाया गया। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि डिस्पेश विथ करने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की बहस सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। अपीलांट दिनांक 15.05.2018 करे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण को लोक अदालत में मुकर्रर करने हेतु निवेदन किया तो अधीनस्थ न्यायालय के रीडर ने बताया कि प्रकरण का निस्तारण दिनांक 12 मार्च 2018 को हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया है, अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 15.05.2018 को हुई, जानकारी की तारीख से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि विधि न्याय दिलाने में साधक है न कि बाधक। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्याय हित में माफ किया जाकर अपील गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को अपास्त फरमाया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जावें।

जवाब में विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का कोई समुचित एवं विधिसम्मत कारण नहीं बताया है। अतः अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस पर विश्वास करते हुए मियाद-प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14 मार्च 2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर डिक्री पर्चा जारी किये जाने के आदेश पारित ही नहीं किये गये, जिससे अपीलांट डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं कर सका। इसलिए न्यायालय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि डिस्पेश विथ किये जाने स्वीकार किया जाकर डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि डिस्पेश विथ किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में प्रत्यर्थीगण के सम्मन सम्यक रूप से तामील होने के उपरांत उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण की विहित प्रक्रिया के तहत हस्तगत प्रकरण में विवाधक कायम किये बिना, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों पर गौर किये बिना केवल इस आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया गया कि सीमांकन रिपोर्ट में पड़ौसी खातेदारों द्वारा अतिक्रमित खातेदारों का नाम आदि स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा प्रतिवादीगण के मौका फर्द पर हस्ताक्षर नहीं है। इन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मार्च 2018 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह विवादग्रस्त आराजी के संबंध में मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की जावे तथा उभय पक्ष की सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/X/2021

नखतदान बीरहठ
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर